न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 30/2022 (2022/110)

1.रामधन पुत्र स्व. छोगा गुर्जर निवासी निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री चेतन धाबाई – वकील प्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। जिसमे प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार हैः–

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम निमोद तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी सवंत् 2071–76 के खाता सं. 199 मे दर्ज खसरा नंबर 379 व 386 प्रार्थी के खाते मे दर्ज है जिसमे प्रार्थी की बहने गोपी, रामप्यारी व सोदरा ने अपना हक प्रार्थी रामधन के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है जिससे वादी स्वयं खातेदार कृषक है वादी के नाम दर्ज खसरा नं. 379 व 386 मे पडौसी खातेदार आये दिन आराजी की सीमाओं को लेकर कहा सुनी करते रहते है तथा लाठी की धमकी देते है जिसके कारण वादी अपनी आराजी की पथरगढ़ी कराना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया प्रतिवादी आज दिनांक को उपस्थित हुये। जिसमे वादी व प्रतिवादी को सुना गया। वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु नकल जमाबंदी संवत् 2071–76 खाता नं. 191 व नक्शा ट्रेश की छायाप्रति प्रार्थी की बहनो द्वारा हक त्याग करने की रिलीज डीड की छायाप्रतिया पेश कि है जिसके मुताबित प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी की है जिससे राज हित प्रभावित नहीं होता।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का ग्राम निमोद तहसील केकड़ी के हाल खसरा नंबर 379 व 386 की आराजी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
के... (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner